संख्याः– 208 /xxvii(7)/2008

प्रेषक,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

सेवा में,
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

वित्त अनुभाग–7 देहरादून, दिनांक 04 जुलाई 2008

विषयः– विभिन्न कन्सलटैन्सी कार्य (consultancy assignments) तथा प्रोजेक्ट डवलपमेन्ट कार्य (Project Development Work), को एकल स्रोत (Sole Source), अथवा नामांकन आधार (Nomination Basis) पर नहीं कराया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड शासन के अधिसूचना सं – 195/xxvii(7)/2008 दिनांक– 13/मई/2008 के द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008 प्रख्यापित कर दी गई है। इस नियमावली में कंसलटेन्ट्स (Consultants) का चयन प्रतिस्पर्धा निविदा प्रणाली (Competitive Bidding System) के आधार पर किये जाने की व्यवस्था दी गई है। अतः अब sole source/ nomination basis पर विभिन्न कन्सलटैन्सी कार्य (consultancy assignments) तथा प्रोजेक्ट डवलपमेन्ट कार्य (Project Development Work) के कार्य देना राज्य के उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 (Uttarakhand Procurement Rules 2008) का उल्लंघन होगा। भविष्य में Consultants का चयन Uttarakhand Procurement Rules, 2008 के प्राविधानों के अनुसार Competitive Bidding System के आधार पर किया जाय।

उपरोक्त व्यवस्था राज्य सरकार की ज्वाइंट वैंचर (Joint Venture) पद्धति पर स्थापित संस्थाओं पर भी लागू होगी। तदनुसार भविष्य में ज्वाइंट वैंचर (Joint Venture) पर गठित संस्थाओं को sole source/nomination basis पर कार्य नहीं दिया जाय।

इस क्रम में मुझे यह भी अवगत कराने का निदेश हुआ है कि पी पी पी प्रोजेक्टस के लिए ट्रान्जैक्शन एडवाइजरस का पैनल तथा दिशा निदेशों से संबंधित आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं – 2/4/2007 – आइ एन एफ दिनांक 25/अक्टूबर/2007 (प्रतिलिपि संलग्न) को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है। साथ ही इस पैनल में यू0 आइ0 पी0 सी0 तथा यू0 डैक के नाम सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

यह भी अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों को अवगत कराते हुये उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्याः– [illegible]/xxvii(7)/2008, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से

(राधा रतूड़ी)
सचिव